राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

आषाढ़ 24, बुधवार, शाके 1937–जुलाई 15, 2015

Asadha 24, Wednesday, Saka 1937–July 15, 2015

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

होटल एवं रेस्टोरेन्ट आदि संचालन उपनियम

राजस्थान नगर निगम अधिनियम 2009 की धारा 340 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए नगर निगम उदयपुर एतद् द्वारा निम्नलिखित उपनियम बनाती है, नामत :–

नगर निगम उदयपुर (होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई, पान, खाद्यान एवं अन्य खाद्य पदार्थो की बिक्री की दुकानो के नियंत्रण व नियमन विषयक) उपनियम – 2015

1. संक्षिप्त नाम सीमा तथा प्रभाव :–

1. ये उपनियम नगर निगम उदयपुर (होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई, पान, खाद्यान एवं अन्य खाद्य पदार्थो की बिक्री की दुकानो के नियंत्रण व नियमन विषयक) उपनियम – 2015 कहलायेंगे।
2. ये उपनियम नगर निगम उदयपुर की सीमा में प्रभावशाली होंगे।
3. ये उपनियम राजस्थान राज पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से एक माह पश्चात् प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषायें :–

(क) जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव मे विपरीतता न आती हो इन उपनियमो के प्रयोजनार्थ:–

A **"अधिनियम"** से तात्पर्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (राजस्थान अधिनियम की धारा 340 सन् 2009) से है,

b **"अनुज्ञा पत्र"** से तात्पर्य इन उपनियमो के अन्तर्गत प्रदान किये गये या दिये जाने वाले अनुज्ञा पत्र से है,

c **"अनुज्ञापन प्राधिकारी"** से तात्पर्य उपनियम के निर्दिष्ठ अधिकारी से है,

d **"अनुज्ञाधारी"** से तात्पर्य अनुज्ञापत्र के धारक से है,

e **"अस्थाई अनुज्ञा"** से तात्पर्य मेला, सर्कस, या अन्य आयोजनों हेतु अधिकतम 1 माह की अल्पवधि के लिये प्रदत अनुज्ञा से है

f **"आयुक्त"** से तात्पर्य निगम के आयुक्त से है,

g **"बेकरी"** से तात्पर्य उस भवन या भवन के भाग से है जहां बिस्किट, केक, डबल रोटी, क्रिम रोल, ब्रेड, टोस्ट, पीजा, पेस्ट्री व अन्य इसी प्रकार के पदार्थ तैयार किये जाते है या विक्रयार्थ रखे जाते है,

h **डेयरी** :– डेयरी से तात्पर्य उस स्थल या उस के भाग से है जहां पर दूध के उत्पाद के उत्पादन व विक्रय का व्यवसाय किया जाता है, एवं इस हेतु दुधारू पशुओं को रखा जाता हैं।

i **"फल सब्जी"** से तात्पर्य उस भवन या भवन के भाग से है जहां सभी प्रकार के फल एवं फलो का ज्यूस, सभी प्रकार की सब्जियां विक्रयार्थ रखी जाती है।

j **"होटल"** से तात्पर्य उस स्थान अथवा उन स्थानो से है जहां यात्रियो के लिये भोजन पेय या अल्पाहार सहित या रहीत ठहरने की व्यवस्था हो तथा उसमें विश्रामगृह लोजिग हाऊस होटले या अन्य इसी प्रकार के भवन सम्मिलित है।

k **"खोमचे वाले"** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो खोमचे या साईकिल, ठेले अथवा बाई साईकिल में फेरी लगाकर, कुल्फी, मिठाई नमकीन चाट दुध दही मावा आदी खाद्य पदार्थ का विक्रय करता है,

l **"किराणा"** से तात्पर्य उस भवन या भवन के भाग से है जहां सभी प्रकार की दाले, चावल, व चावल से बनी वस्तुएं, नमक, वनस्पती घी, खाद्य तेल, देशी घी, मसाले, चाय कॉफी, आदि खाद्य पदार्थ विक्रयार्थ रखे जाते है।

m **"कन्फेक्शनरी"** से तात्पर्य उस भवन या भवन के भाग से है जहां सभी प्रकार की खट्टी मिठी गोलीयों का निर्माण या विक्रयार्थ रखी जाती है।

n **"महापौर"** से तात्पर्य नगर निगम के महापौर से है "

o **"मुख्य कार्यकारी अधिकारी"** से तात्पर्य निगम के "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से है,

p **"मिठाई की दुकान"** से तात्पर्य उस भवन या भवन के भाग से है जहां किसी प्रकार की मिठाई, नमकीन, चाट, पुडी, साग सब्जी, पताशा, मिश्री, बुरा व अन्य इसी प्रकार के पदार्थ तैयार किये जाते है या विक्रयार्थ रखे जाते है। इसमें नमकीन की दुकान भी सम्मिलित है,

Scanned with OKEN Scanner

Q "**मोबाईल वेन**" से तात्पर्य उस चलित वाहन जो राज्य या केन्द्र सरकार के परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत है एवं जिस वाहन में चाट, पकौडी, फास्ट फुड, डोसा, भोजन इत्यादी निर्माण या विक्रयार्थ रखे जाते है।

r "**नगर निगम**" से तात्पर्य नगर निगम उदयपुर से है,

s "**प्रपत्र**" से तात्पर्य इन उपनियमो के साथ संलग्न प्रपत्र से है,

t "**पान की दुकान**" से तात्पर्य उस भवन या भवन के भाग से है जहां पान आदि तैयार किये जाते है या विक्रयार्थ रखे जाते है,

u पेयजल :– पेयजल से तात्पर्य भारत सरकार के मानकों के अनुसार फिल्टर किये जाने व लवण मिश्रित जल से है एवं उस स्थल से भी है जहां पेयजल का निर्माण किया जाता है।

v "**रेस्टोरेन्ट अल्पाहारगृह**" **अथवा भोजनालय** से तात्पर्य उस भवन या भवन के भाग से है जहां भोजन, पेय, प्रदार्थ, अल्पाहार, आईसक्रीम, आईसकेण्डी (कुल्फी) या बर्फ तैयारी की जाती है विक्रयार्थ रखी जाती है तथा उसमें चाय, कॉफी, कहवा, दूध, दही, लस्सी, शर्बत, नमकीन, मिठाई, रस, शीतलपेय (गैस युक्त पेय), सूप, विदेशी भोजन, मटन, चिकन, अंडे, मछली (पका हुआ) इत्यादि सम्मिलित है,

w "**स्वास्थ्य अधिकारी**" से तात्पर्य निगम के स्वास्थ्य अधिकारी से है,

x "**स्वामी**" में अभिकर्ता सेवक प्रबंधक अधिवासी अथवा काबिज सम्मिलित है,

y उन शब्द और अभिव्यक्तियों जो इन उपविधियों में प्रयुक्त की गई है, परन्तु परिभाषित नही कि गई है के वे ही अर्थ होगें जो कि अधिनियम में परिभाषित किये गये है।

3. **अनुज्ञा पत्र की बाध्यता** :– कोई भी व्यक्ति नगर निगम उदयपुर के क्षेत्राधिकार में नगर निगम से इन उपनियमो के तहत विधिवत अनुज्ञा प्राप्त किये बिना होटल रेस्टोरेंट अल्पाहार गृह, बेकरी, डेयरी, मिठाई की दुकान किराणा दुकान खोमचे ठेले, पान की दुकान, मोबाईल वेन, आदि का संचालन नही कर सकेगा न ही तत्प्रयोजनार्थ किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ का उत्पादन व विक्रयार्थ ही कर सकेगा।

4. **अनुज्ञापन प्राधिकारी** :– इन उपनियमो के अंतर्गत व प्रयोजनार्थ निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त या इनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा।

5. अनुज्ञा पत्र हेतु पात्रता :–
   (क) भारत का नागरिक हो एवं 18 वर्ष से कम आयु का न हो।
   (ख) वह किसी संकामक रोग से ग्रसित न हो।
   (ग) वह अपराधी व शराबी न हो।
   (घ) उसे नैतिक अधमतः के लिये किसी न्यायालय से सिद्ध दोष नही किया गया हो।

6. **अनुज्ञा पत्र प्राप्ति की प्रकिया** :–

1. कोई भी व्यक्ति जो नगर निगम क्षेत्र में होटल रैस्टोरेन्ट बेकरी, डेयरी, मिठाई की दुकान, पान की दुकान, खाद्य पदार्थों आदि की दुकान के रूप में किसी परिसर को प्रयुक्त करने की अपेक्षा करता है वह प्रपत्र 1 में जो नगर निगम कार्यालय में सशुल्क उपलब्ध होगा, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। प्रपत्र पर आवेदक के 2 फोटो व अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे विकय पत्र, किराया चिठठी, गिरवीनामा, किराये की रसीद आदि, व्यवसाय स्थल के दो मानचित्र व दो फोटो ग्राफ, कर जमा कराने की रसीदे आदि एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग की स्वीकृति एवं निर्माण निषेध क्षेत्र में स्थित होने की अवस्था में पर्यावरण नियत्रंण विभाग का अनापति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज, तथा होटल रेस्टोरेंट ढाबा प्रयुक्त किये जाने की अवस्था में जलोत्सारण व्यवस्था को प्रदर्शित करते हुए प्रस्तुत करेगा।

2. खण्ड (1) के अनुसार परिपूर्ण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी या इनके निर्देशानुसार इनके आधेनस्थ, स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक प्रस्तावित व्यवसाय, कार्य स्थल का निरीक्षण करेगा एवं अपनी रिपोर्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो कि अपनी सन्तुष्टि के पश्चात् व्यवसाय व कार्य स्थल को श्रेणी बद्ध करेगा।

3. खण्ड (2) के अनुसार श्रेणी वद्ध किये जाने के पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञार्थी को निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु निर्देशित करेगा। शुल्क जमा करा दिये जाने के पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी प्रपत्र संख्या 3 में फोटो युक्त अनुज्ञा पत्र जारी करगें।

4. प्रपत्र संख्या 1 के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न न होने की अवस्था में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् या अन्य किसी उचित कारण से अनुज्ञापन प्राधिकारी प्रार्थना पत्र को निरस्त कर सकेगा।

5. शहर कोट के बाहर अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा परिसर का व्यावसायिक भू उपयोग परिवर्तन आदेश एवं निर्माण स्वीकृति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. **अनुज्ञा पत्र की अवधि** :–
   (1) इन उपनियमो के अधीन निर्गमित प्रत्येक वर्ष अनुज्ञा पत्र की अवधी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 1 वर्ष के लिये होगी।
   2. प्रत्येक अनुज्ञाधारी अनुज्ञा पत्र को अपने वाणिज्यिक भवन पर कांच के फ्रेम में मढवाकर स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित करेगा।

8. अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण :–

1. अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण के लिये अनुज्ञार्थी प्रपत्र संख्या 2 में अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा जो निगम से सशुल्क प्राप्त होगा। प्रत्येक वर्ष अनुज्ञा का निर्दिष्ठ शुल्क जमा कराये जाने पर

Scanned with OKEN Scanner

इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा अनुज्ञापन अधिकारी उचित समझे तो स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मंगवा सकेगा। अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण में किसी भी प्रकार की आपति होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक को सूनवाई का अवसर प्रदान कर उचित निर्णय करेगा।

2. प्रत्येक अनुज्ञाधारी अनुज्ञा पत्र की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के भीतर उसका नवीनीकरण करने हेतु आवेदन करना होगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी को यह अधिकार होगा की परिस्थिति विशेष में 15 दिवस नवीनीकरण की छूट दे सकेगा। इसके पश्चात् 10 रूपया प्रति दिवस की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
3. कोई भी अनुज्ञाधारी अपना व्यापार बंद करे तो वह इसकी लिखित सूचना तत्काल निगम में देकर अपने अनुज्ञापत्र को समर्पित करेगा। सूचना व अनुज्ञापत्र समर्पण के अभाव में अनुज्ञाधारी से उपनियम **8** (2) के अनुसार शुल्क लिया जायेगा।

9. अस्थाई अनुज्ञा पत्र :–

1. कोई भी व्यक्ति किसी मेला, सर्कस एवं अन्य आयोजन स्थलों पर अस्थाई रूप से रेस्टोरेंट, मिठाई, पान, ठेला, खोमचा आदि लगाने का इच्छुक हो तो वे तत्प्रयोजनार्थ अस्थाई अनुज्ञा पत्र जिसकी अवधि एक माह से अधिक नही होगी, प्राप्त कर सकेगा।
2. खण्ड (1) में प्रदत किये जाने वाले अस्थाई अनुज्ञा पत्र का शुल्क साप्ताहिक 250 रूपया होगा।

10. अनुज्ञा पत्र अहस्तान्तरणीय होगा :–

1. इन उपनियमो के अन्तर्गत जारी किया गया कोई भी अनुज्ञा पत्र जिस स्थान व व्यक्ति के लिये अथवा जिस कार्य के लिये स्वीकार किया जायेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही हो सकेगा तथा अनुज्ञा पत्र अहस्तान्तरणीय होगा।

11. अनुज्ञा पत्र का निलम्बन या निरस्तीकरण :–

1. कोई भी अनुज्ञा पत्र जन सुरक्षा, जन स्वास्थ्य पर्यावरण एवं प्रदूषण के आधार पर अथवा अनुज्ञाधारी द्वारा इन उपनियमो में प्रावधित प्रतिबंध व शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलम्बित किया जा सकेगा।
2. प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियो के उपयोग करने पर अनुज्ञा निरस्त की जा सकेगी।
3. खण्ड (1) में अनुज्ञापत्र के निरस्तीकरण करने के पूर्व अनुज्ञाधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।
4. निलम्बन के पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञाधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर अनुज्ञा पत्र को निरस्त किये जाने या निरन्तर रखे जाने के बारे में निर्णय करेगा।

12.अनुज्ञा पत्र शुल्क :–

1. अनुज्ञा पत्र का शुल्क निम्न प्रकार से देय होगा :– भारत सरकार या मंत्रालय पर्यटन विभाग नई दिल्ली राज्य सरकार द्वारा स्टार वाईज वर्गीकरण अनुसार शुल्क होगा।

- स्टार होटल

(क) 7 स्टार होटल	1.50 लाख रूपया प्रति वर्ष
(ख) 5 स्टार होटल	1.00 लाख रूपया प्रति वर्ष
(ग) 4 स्टार होटल	75 हजार रूपया प्रति वर्ष
(घ) 3 स्टार होटल	50 हजार रूपया प्रति वर्ष
(ङ) 2 स्टार होटल	25 हजार रूपया प्रति वर्ष
(ढ) 1 स्टार होटल	15 हजार रूपया प्रति वर्ष

(1) सामान्य होटल/विश्रान्तिगृह/गेस्ट हाउस :–

- सामान्य होटल

(क) श्रेणी प्रथम – जहां यात्रियो के लिये 20 कमरो से अधिक व्यवस्था है –3100 रू. प्रतिवर्ष

(ख) श्रेणी द्वितीय – जहां यात्रियो के लिये 11 से 20 के मध्य कमरो की व्यवस्था है– 2100 रू.प्रतिवर्ष

(ग) श्रेणी तृतीय – जहां यात्रियो के लिये 10 से कम कमरो की व्यवस्था है – 1100 रू. प्रतिवर्ष

- धर्मशाला

(क) श्रेणी प्रथम – जहां यात्रियो के लिये 20 कमरो से अधिक व्यवस्था है – 1000 रू. प्रतिवर्ष

(ख) (ख) श्रेणी द्वितीय – जहां यात्रियो के लिये 11 से 20 के मध्य कमरो की व्यवस्था है– 750 रू. प्रतिवर्ष

(ग) श्रेणी तृतीय – जहां यात्रियो के लिये 10 से कम कमरो की व्यवस्था है– 500 रू. प्रतिवर्ष

(2) रेस्टोरेन्ट/ढाबा/होटल आदि :–

भोजन (शाकाहारी/मांसाहारी) चाय नमकीन मिठाई आईसक्रीम बर्फ दूध दही लस्सी सोडा लेमन शरबत आदि उत्पादन एवं व्यय की दुकान :–

उपरोक्त व्यवसाय का श्रेणी विभाजन स्थान की उपयुक्ता/एरिया/ए0सी0/नॉन ए0सी0/पार्किंग/टेबल संख्या/स्टाफ संख्या/सफाई/लोकेशन/स्वच्छता व्यवस्था/फुड रेट/आंतरिक सजावट/खाद्य सामग्री आदि को दृष्टि में रखते हुए निगम अनुज्ञाधारी को श्रेणी निश्चित करेगा, जिसका शुल्क निम्न प्रकार से होगा :–

(क) श्रेणी प्रथम (शाकाहारी) –	15000 रूपये प्रतिवर्ष
श्रेणी प्रथम (मांसाहारी) –	15000 रूपये प्रतिवर्ष

Scanned with OKEN Scanner

श्रेणी प्रथम (मांसाहारी + शाकाहारी) – 20000 रूपये प्रतिवर्ष
(ख) श्रेणी द्वितीय (शाकाहारी) 7500 रूपये प्रतिवर्ष
श्रेणी द्वितीय (मांसाहारी) – 7500 रूपये प्रतिवर्ष
श्रेणी द्वितीय (मांसाहारी + शाकाहारी) – 11000 रूपये प्रतिवर्ष

(ग) श्रेणी तृतीय (शाकाहारी) – 1000 रूपये प्रतिवर्ष
श्रेणी तृतीय (मांसाहारी) – 1000 रूपये प्रतिवर्ष
श्रेणी तृतीय (मांसाहारी + शाकाहारी) – 2000 रूपये प्रतिवर्ष

(3) चाय, कॉफी, नमकीन, बर्फ, शरबत, कुल्फी, आईस्क्रीम, गोश्त, मछली, मिठाई, अण्डे आदि के उत्पादन एवं बिक्री की अलग--अलग या सामुहिक व्यवस्था का इसमें खोमचा ठेला गाडी भी सम्मिलित है --500 रू. प्रतिवर्ष

(4) आईस फैक्ट्री, आईस केण्डी, कोल्ड हाउस, बैकरी – 2000 रू. प्रतिवर्ष

(5) पान की दुकान 300 रू. प्रतिवर्ष

(6) डबल रोटी, स्लाईस, चॉकलेट, सुखा मेवा, गोलियां, तेल, घी, फल, सब्जियां, सूखे--मसाले, दाले, चावल आदि अन्य खाद्य पदार्थो की बिक्री का 250 रू. प्रतिवर्ष

(7) डेयरी, दूधशाला व दूध उत्पादन, दुध की दुकान एवं बिक्री संग्रह केन्द्र :--
उपरोक्त व्यवसाय का श्रेणी विभाजन स्थान की उपयुक्ता/एरिया/सफाई/लोकेशन/स्वच्छता व्यवस्था/गाय व भैंस की संख्या/मशीनरी उपयोग/क्वालिटी/प्रोडेक्ट की संख्या/टर्न ऑवर खाद्य सामग्री बिकी आदि को दृष्टि में रखते हुए निगम अनुज्ञाधारी की श्रेणी निश्चित करेगा, जिसका शुल्क निम्न प्रकार से होगा :--

श्रेणी प्रथम 3000 रू. प्रतिवर्ष
श्रेणी द्वितीय 1500 रू. प्रतिवर्ष
श्रेणी तृतीय 750 रू. प्रतिवर्ष

(8) मोबाईल वेन रेस्टोरेन्ट 2000 रू प्रतिवर्ष

(9) मिनरल वाटर उत्पादक/विकयार्थ 2000 रू. प्रतिवर्ष

2. खण्ड (1) में देय शुल्क प्रत्येक अवस्था में अग्रीम रूप से लिया जावेगा।

3. नगर निगम कोष में अनुज्ञा पत्र शुल्क जमा होने पर किसी भी अवस्था में वापस नही किया जायेगा।

13.अनुज्ञा पत्र की सामान्य शर्ते :--. इन उपनियमो के अन्तर्गत प्रत्येक अनुज्ञा पत्र निम्नलिखित सामान्य शर्तो के अधीन स्वीकार किया जायेगा :--

1. जिस स्थान के लिये अनुज्ञा पत्र दिया जाना प्रस्तावित हो, वह अपेक्षित व्यापार के लिये उपयुक्त और पर्याप्त होना आवश्यक होगा।
2. अनुज्ञा पत्रित स्थान पर्याप्त रूप से प्रकाश युक्त व संवावित होगा।
3. खाद्य प्रदार्थ निर्माण हेतु किचन आधुनिक सुविधा युक्त व साफ सुथरी होगी। व. धुएं के निकास हेतु चिमनी प्रर्याप्त उंचाई तक आवश्यक होगी।
4. अनुज्ञाधारी के द्वारा गंदे पानी के निकास के लिये उचित एवं पर्याप्त जलोत्सारण व्यवस्था करनी होगी व ऐसी व्यवस्था रखी जावेगी कि ऐसा गंदा पानी तुरंत स्वतः बह सके।
5. शौचालय फ्लश प्रणाली के होकर सिवरेज लाईन से जुडे होंगे/स्वयं की भूमि पर सेफ्टी टेंक से जुडे होंगे तथा 10 रूम के उपर के कमरे वाली होटलो में सिवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट अनिवार्य होगा।
6. भोजन परोसने एवं खाद्य पदार्थ तैयार करने के सम्पूर्ण पात्र स्टेनलेस स्टील, कांच या फुडग्रेड प्लास्टिक के पात्र होंगे। एल्युमिनियम धातु के कोई पात्र काम में नही लिये जायेंगे।
7. फिल्टर युक्त एवं किटाणु मुक्त पेय जल की व्यवस्था आवश्यक रूप से करनी होगी।
8. अनुज्ञाधारी का अनुज्ञा स्थल किसी भी प्रकार की सीलन, बदबू, व नमी से रहित होना आवश्यक होगा।
9. अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुज्ञा पत्रित स्थान पर किसी भी समय कोई पशु नहीं रखे जावेंगे।
10. (अ) अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्रित स्थान को सदैव स्वच्छ रखेगा।

(ब) अनुज्ञा पत्रित स्थान पर एकत्रित होने वाले कूडे करकट को एतदर्थ रखे मय ड्रमो या अन्य धातु प्लास्टिक के पात्रो में एकत्रित किया जावेगा। तथा प्रत्येक दिवस एकत्रित कूडे करकट को निर्धारित स्थान पर निस्तारित किया जावेगा व प्रति दिवस उन्हे आवश्यकतानुसार स्वच्छ किया जावेगा। अनुज्ञाधारी किचन के वेस्ट और अन्य सूख वेस्ट को अलग--अलग पात्रों में एकत्रित करेगा और नगर निगम के ठोस कचरा निस्तारण के नियमों की पालना करेगा।

(स) अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्रित स्थान को प्रत्येक दिवस तथा आवश्यकता अनुसार समय--समय पर पूर्ण रूपेण धोवेगा एवं शौचालय, मुत्रालय को स्वच्छ एवं कीटाणु नाशक दवाईयो से कीट रहित करेगा।

(द) व्यापार के लिये प्रयोगार्थ समस्त फर्नीचर, तश्तरियां, क्रोकरी, पात्र, बर्तन व उनसे सम्बन्धित अन्य अनुसांगिक वस्तुएं सदैव स्वच्छ रखे जावेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

11. तश्तरियो, कप प्लेट, चमचे, कांटे एवं अन्य समस्त बर्तन व अनुसांगिक वस्तुओं को परोसने में प्रयोजनार्थ हो, को सदैव स्वच्छ जल से पूर्ण रूपेण धोया जावेगा तथा तथा उन्हे दुबारा परोसने के प्रयोग में लेने से पूर्व उबलते हऐ गर्म पानी या भाप में पाचं मिनिट तक उबालकर कीटाणु रहीत किया जावेगा।

12. प्रत्येक टेबूल बेंच या तख्ता जिस पर भोजन चाय या अन्य अल्पाहार परोसे जावे का ऊपरी तल मार्बल या पालिसदार पत्थर, सनमाईका, एल्यूमिनियम, पीतल, स्टेनलेस स्टील की चद्दर या अन्य ऐसे पदार्थ का बना होगा जो शोषक हो और प्रत्येक परोसकारी के बाद उपरीतल को स्वच्छ कपडे से तथा आवश्यकता हो तो जल से पूर्णतया स्वच्छ किया जावेगा।

13. सम्पूर्ण खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ, मसाले, साग सब्जी, फल आदि जो खाद्य सामग्री के निर्माणार्थ प्रयुक्त हो, अच्छे ताजा एवं आरोग्यप्रद होंगे तथा निर्मित या उत्पादीत भोजन या खाद्य सामग्री जो तत्काल प्रयोग के लिये नही है, बन्द डिब्बे जो गेल्वेनाइज्ड लोहे के बने होंगे या अन्य धातुओ के पात्र में रखे जावेंगे ताकि बाह्य रसायनिक प्रभाव से उनकी रक्षा हो सके तथा उन्हे किसी भी रूप में फर्श पर खुला नही छोडा जावेगा। दुसरे दिन का या बासी खाद्य सामग्री को बिक्री नही करेगा ओर न ताजा खाद्य सामग्री में दुसरे दिन का या बासी खाद्य सामग्री में मिलायेगा।

14. अनुज्ञाधारी के कार्य करने वाले सेवक उचित ड्रेस में हो।

15. किसी भी ऐसी वस्तु को हाथ से नही छुआ जायेगा तथा उन्हे परोसने के लिये सदैव स्वच्छ चमचे कांटे या अन्य अनुसांगिक वस्तुएं प्रयुक्त की जावेगी, व खाद्य प्रदार्थ का वितरण करने हेतु मेडिकेटेड रबर ग्लब्स का पहनना आवश्यक होगा।

16. ऐसे कोई भी खाद्य पदार्थ अनुज्ञापन प्राधिकारी या नगर निगम द्वारा प्राधिकृत स्वास्थ्य अधिकारी की सम्मति से सडा हुआ, बासी, अस्वास्थ्यकर, अपराधजन्य अथवा किसी प्रकार के मानव उपयोग के लिये अनुचित हो, अपने व्यवसाय स्थल में न तो भण्डारित किया जावेगा न परोसा जावेगा और न ही विक्रय किया अथवा विक्रय के लिये प्रदर्शित किया जावेगा।

17. (क) सुखे मेवे, फलो के कटे टूकडे (स्लाइस) पका हुआ भोजन या अन्य सम्पूर्ण प्रकार की भोज्य, खादय एवं पेय वस्तुएं जो अपने व्यवसाय स्थल में मानव उपयोग के लिये तैयार रखी गई हो उन्हे इस प्रकार भण्डारित किया जावेगा या विक्रय के लिये प्रदर्शित किया जावेगा ताकि उनकी धूल मख्खियो कीटाणुओ से पूर्ण रूपेण रक्षा हो सकें।

(ख) ऐसी वस्तुएं जब विक्रय के लिये प्रदर्शित की जावे तो उन्हे बर्तनो या तश्तरियो में जो कांच चीनी मिट्टी की या इनेमल धातु या चद्दर की बनी होगी, कांच की अलमारियो या आवश्यकता हो तो कांच की जालियो में इस प्रकार रखी जावेगी कि उनमें वायु संचालित हो सकें।

18. अनुज्ञाधारी व्यापार के प्रयोजनार्थ चाहे वह विक्रय से सम्बन्धित हो या उत्पादन से ऐसे किसी व्यक्ति को नियोजित नही करेगा जो किसी घृणास्प्रद छूत या किसी अन्य सांस्पर्सिंग रोग से पीडित हो अथवा वह ऐसे रोगो से पीडीत किसी व्यक्ति के सम्पर्क में तुरन्त रहा हो या स्नान किया हुआ नही हो या अस्वच्छ हो।

19. सम्पूर्ण प्रकार के खाद्य प्रदार्थो को पेकिंग करने के लिए एल्यूमिनियम फोईल काम में ली जावेगी एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक से निर्मित कोई सामग्री खाद्य प्रदार्थ के उपयोग में नही ली जावेगी।

(अ) अनुज्ञाधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने व्यवसाय स्थल नियोजित नही करेगा जब तक की वह तद्न्तर्गत अपने प्रथम नियोजन के समय निगम द्वारा प्राधिकृत स्वास्थ्य अधिकारी से इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दे की वह किसी सांस्पर्सिंग छूत या घृणित रोग से पीडित नही है तथा वह किसी अन्य विषयक रोग उदाहरणार्थ मोतीझरा (टाईफाईड) काला ज्वर, हेजा या आव जैसे रोगो का रोग वाहक नही है। कभी भी गंभीर रोग से ग्रसित होने के बाद वह पूनः कर्तव्यस्थ होने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा की वह किसी सांस्पर्सिंग छूत या घृणित रोग का रोगी नही है।

(ब) प्रत्येक ऐसा कर्मचारी जब कभी भी निगम द्वारा प्राधिकृत स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाये अपना स्वास्थ्य परिक्षण करवायेगा।

(ग) उपखण्ड (अ) या (ब) में प्रावधित अपेक्षाओ के अनुपालन में ऐसे कर्मचारी द्वारा असफल होने पर उसे अनुज्ञा पत्रित स्थान पर किये जाने वाले व्यवसाय के सम्बन्ध में न तो नियोजित किया जावेगा ओर न ही नियोजन में रखा जावेगा।

20. अनुज्ञाधारी अनुज्ञा स्थल में होने वाले किसी ऐसे रोग जो भयानक छूत या सांस्पर्सिंग हो, कि सूचना तत्काल निगम द्वारा प्राधिकृत स्वास्थ्य या चिकित्सा प्राधिकारी अथवा आयुक्त या अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा।

21. होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी में खाद्य प्रदार्थ निर्मित करने वाले सेवकों के हाथों में मेडिकेटेड रबर ग्लब्स पहनने आवश्यक है।

22. खाद्य पदार्थ निर्माण हेतु आधुनिक किचन चिमनी सहित निर्माण करेगा बिल्डिंग लाईन से बाहर सडक चबुतरा आदि स्थलों पर भट्टी चूल्हा नही रखेगा एवं किसी प्रकार की खाद्य सामग्री निर्मित व प्रदर्शित नही करेगा।

23. खाद्य प्रदार्थ का व्यवसाय करने वाले खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की पालना सुनिश्चित करेगे।

Scanned with OKEN Scanner

24. यह अनुज्ञा पत्र अनुज्ञा स्थल में किसी प्रकार का स्वत्वः, हित या अधिकार हेतु के प्रयुक्त नही किया जा सकेगा।

विशेष शर्त

14. **बेकरी व मिठाई की दुकान के लिये विशेष शर्त :–** अनुज्ञाधारी ऐसे स्थान जो बेकरी या मिठाई की दुकान के रूप में अनुज्ञापत्रित करवाये जाये, उपनियम 13 में प्रावधित सामान्य शर्तो के अतिरिक्त निम्न विशिष्ठ शर्तो का और पालन करेगा :–

(क) अपने व्यवसाय स्थल में गुंदने, भण्डारित करने तथा विक्रय करने के लिये पृथक पृथक व्यवस्था की जायेगी।

(ख) गुंदन कक्ष की भितिया भुतल से 250 सेंटीमीटर की ऊचांई तक सीमेंट प्लास्टर, चिप्स या टाईल्स की पक्की बनी होगी। गुंदन कक्ष की छत साफ होगी ताकि उस पर झाले व धुल कण न चिपक सके।

(ग) बेकरी में प्रयुक्त होने वाली गुंदन मेज का तल साफ तथा दरार रहित होगा व इस प्रकार का होगा की उसमें जल नही सोखा जा सके। जब मेज प्रयोग में नही लाई जाये तो उसे सदैव स्वच्छ कपडे से आच्छादित रखी जावेगी।

(घ) प्रत्येक व्यक्ति जो गुदन क्रिया के लिये नियोजित हो, सूती या लीलन की बनी हुई स्वच्छ कपडे की पोशाक (एप्रन इस प्रकार पहनेगा ताकि उसके शरीर का अग्रिम भाग गर्दन से घुटनो तक आच्छादीत हो जाये।

(ङ) अनुज्ञाधारी या स्वामी रोटी या मिठाई को विक्रयार्थ एक स्थान से दुसरे स्थान पर केवल बंद गाडी या बंद टोकरी, टिन या अन्य ऐसे ही पात्र में परिवहीत करेगा। ऐसी प्रत्येक गाडी, टोकरी, टीन पात्र प्रत्येक समय पुर्णतया स्वच्छ रखा जावेगा तथा कोई भी व्यक्ति ऐसी कार्यवाही नही करेगा जिसमें रोटी या मिठाई जो परिवहित की जा रही हो, गंदी, दूषित या अस्वास्थ्यकर हो जावे।

(च) बेकरी एवं मिठाई के निर्माण में वर्तमान मे उपलब्ध आधुनिक उपकरणों का प्रयोग आवश्यक होगा।

15. **होटल एवं रेस्टोरेन्ट के लिये विशेष शर्ते :–** होटलो एवं रेस्टोरेन्ट के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान के लिये उपनियम 13 में प्रावधित सामान्य शर्तो के अतिक्ति अनुज्ञाधारी निम्न विशिष्ट शर्तो का ओर पालन करेगा :–

1. किसी भी व्यक्ति को भोजन के अतिरिक्त अन्यत्र भोजन किये जाने की अनुमति नही दी जावेगी। परन्तु ऐसी अनुमति होटल में ठहरने वाले यात्रीं को अपने कक्ष में भोजन करने के लिये दि जा सकेगी।
2. होटल में उचित संख्या में फ्लश शौचालय होंगे। प्रत्येक शौचालय, मुत्रालय को पूर्णतया स्वच्छ रखा जावेगा तथा प्रतिदिन किटाणु नाशक दवाईयो द्वारा किटाणु रहीत किया जावेगा । फ्लश शौचालय ही निर्मित किये जावेंगे।
3. जब कभी होटल या रेस्टोरेन्ट पर संवाद प्रसारण जिससे कोई ध्वनि विस्तारक सम्बन्ध किया हुआ हो तो इस बात का पुर्णतया ध्यान रखा जायेगा कि समीप के भवनो या स्वामीयो या अधिकारीयो को किसी प्रकार की असुविधा या कष्ट का अवसर प्राप्त ना हो तथा पडौस में किसी प्रकार की कोई अनुचित ध्वनि या शोर न हो। ध्वनि प्रसारण यंत्र की आवाज 50 फिट रेडीयस में ही प्रसारित करेगा, एवं रात्रि 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक नियत्रंण के अंतर्गत हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करेगा।
4. भोजन तथा रसोई घर की फर्श – पत्थर, सिमेंट, चिप्स या अन्य ऐसे पदार्थ से बनी हो जो अभेध्य हो तथा इस प्रकार ढालू होगी की उसमें सम्पूर्ण तरल पदार्थ सरलता पूर्वक नाली में बह सके।
5. भोजन व रसोईघर में संवातन की पर्याप्त व्यवस्था इस प्रकार से की जावेगी कि अनुज्ञापन प्राधिकारी की संतुष्टी के अनुसार हो। इस प्रकार का कोई लेम्प या अन्य प्रकाश प्रयोग में नही लिया जावेगा, जिसकी बनावट इस प्रकार की हो कि उससे धुंआ या काजल उत्पन्न हो।
6. भोजनकक्ष व रसोईघर के दरवाजे खिडकीयां व अन्य छिद्र मार्ग इस प्रकार से निर्मित किये जावे ताकि मक्खिया व धुल से रक्षा की जा सके तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी की संतुष्टी के अनुसार जाली व अच्छे चिको की सुरक्षा की जावेगी।
7. सम्पुर्ण पका हुआ भोजन इस प्रकार रखा जावेगा ताकि वह किसी भी प्रकार हानिकारक, दुर्गन्धिमय विषैला या दूषित न होवे।
8. होटलो की व्यवस्था में एक पंजिका रखी जावेगी जिसमें होटलो में ठहरने वालो के नाम व पते व पहचान पत्र, आने जाने की तिथी, समय निगम द्वारा समय समय पर अपेक्षित अन्य सूचनाये प्रविष्ठ की जावेगी, एवं विदेशी पर्यटकों कि सूचना संबंधित थाना या प्रशासन को देनी अनिवार्य होगी।
9. सभी ठहरने वाले व्यक्तियों का इलेक्ट्रोनिक माध्यम से पहचान पत्र का स्केनिंग कर रेकॉर्ड रखना आवश्यक होगा।
10. बर्तन धोने व झुठन इकट्ठी करने का स्थान ड्रम, कुण्डी, नाली, वॉस बेसिन की सफाई बराबर करनी होगी। ड्रम, कुण्डी, नाली में किटाणुनाशक दवाईयो का उपयोग करेगा। झुठन, सडा गला, बासी खादय पदार्थ खुली नाली व कुण्डी में नही बहायेगा और न खाने के लिये किसी व्यक्ति को देगा।
11. होटल के स्वागत कक्ष में टेरीफ सदृश्य स्थान पर आवश्यक रूप से लगानी होगी।
12. रेस्टोरेंट के स्वागत कक्ष में रेट लिस्ट सदृश्य स्थान पर लगानी होगी।

16. **गैस युक्त शीतल पेय प्रदार्थ के उत्पादन हेतु विशिष्ट शर्ते :–** गैसयुक्त शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन के लिये जल के उपनियम 13 में प्रावधित सामान्य शर्तो के अतिरिक्त अनुज्ञाधारी निम्न और विशिष्ट शर्तो का पालन करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

1. जहां नल व्यवस्था हो, जहां तक संभव हो यंत्रालयो के भवन में सार्वजनिक जल प्रदाय से ही जल सम्बन्ध किया जावेगा।
2. अनुज्ञा पत्रित स्थान में निम्नलिखित के लिये पृथक व पर्याप्त व्यवस्था की जावेगी :–
(अ) बोतले साफ किये जाने हेतु,
(ब) जल भण्डारित किये जाने व साफ किये जाने हेतु,
(स) बोतले भरी जाने हेतु,
(द) भरी हुई बोतलो को भण्डारित करने हेतु,
3. उत्पादन के लिये प्रयुक्त होने वाले जल को भली प्रकार शोधित किया जावेगा तथा शोधित करने वाले पात्रो एवं सामग्री का ऐसे समय में तथा प्रणाली से जैसा अनुज्ञापन प्राधिकारी निर्देश दे, कीटाणु विहीन किया जावेगा।
4. सम्पूर्ण प्रकार के पदार्थ तश्तरियो या पात्रो या स्टेनलैस स्टील या चीनी मिट्टी या चीनी मिट्टी लगे पात्रो में तैयार किये जावेंगे एवं उन्हे ऐसे स्थानो या अलमारियो में रखे जावेंगे जहां मक्खी, मच्छर आदि प्रविष्ठ न हो सके।
5. अनुज्ञापत्रित स्थान से किसी भी प्रकार का गैसीय जल या शरबत आदि विक्रयार्थ जब तक निर्गमित नही किये जावेंगे, तब तक कि उन पर उत्पादन कर्ता का पूर्ण नाम व पते लेबिल नही लगा दिया जाये।
6. गैसीय जल या जल से उत्पादित किये जाने वाले अन्य पेय पदार्थो से यदि जन स्वास्थ्य को हानि की आशंका हो तो किसी प्रकार की महामारी फैलने का भय हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, निगम द्वारा प्राधिकृत स्वास्थ्य प्राधिकारी या निगम द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह ऐसे पदार्थो का उत्पादन सर्वदा के लिये या ऐसी अवधि के लिये जो आवश्यक समझी जाये, बन्द करावे।

17.बर्फ उत्पादन के स्थानो हेतु विश्ष्ठि शर्ते :– बर्फ उत्पादन के स्थानो के लिये उपनियम 13 में प्रावधित सामान्य शर्तो के अतिरिक्त अनुज्ञाधारी निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो का ओर पालन करेगा।

1. (क) जहां नल प्रणाली की व्यवस्था हो, वहां यंत्रालय के भवन में जल सम्बन्ध केवल सार्वजनिक जल प्रदाय से ही किया जावेगा तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी की विशिष्ठ अनुमति से अतिरिक्त अन्य कोई जल प्रयुक्त नही किया जावेगा। जल भण्डारित करने के ऐसे पात्र प्रयुक्त किये जावेंगे, जैसा की अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जावे।
(ख) यदि अनुज्ञाधारी स्वयं के कुए/टयुबवेल से बर्फ निर्मित करने के लिये जल का प्रयोग करे तो ऐसे जल की स्वच्छता या शुद्धता का प्रमाण पत्र चीफ पब्लिक एनेलिस्ट से प्राप्त कर अनुज्ञा लेने व नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करेगा। ऐसे कुंए में किटाणुनाशक ओषधिओ का दैनिक प्रयोग करेगा और प्रोयोगिक की गई दवाओं का मासिक विवरण निगम को मास के प्रथम सप्ताह में देगा।
2. बर्फ के उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाने वाला जल पुर्ण रूपेण शोधित एवं शुद्ध होगा तथा उसे अन्य ऐसे पात्रो में जिन्हे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो नही लेजाया जावेगा।
3. बर्फ रखने व बिक्री किये जाने वाला स्थान पक्का होगा, जिसकी ऊचांई जमीन से कम से कम 50 सेंटीमीटर की होगी।
4. कुल्फी, आईसक्रीम, एरीटेडेड वाटर, शर्बत, बर्फ, के उत्पादन एवं बिक्री के बर्तन और उनके सहयोगात्मक बर्तन प्रतिदिन स्वच्छ किये जाकर प्रयोग में लिये जायेंगे। प्रतिदिन गर्म पानी से उचित माध्यम या पोटेशीयम परमेगनेट डाल कर ही प्रयोग में लिये जायेंगे।

18.पान की दुकान हेतु विशिष्ट शर्ते :–

1. अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञापत्रित स्थान में प्रयुक्त किये जाने वाले सम्पूर्ण पात्रो को प्रत्येक दिवस पूर्ण रूपेण स्वच्छ किया जावेगा।
2. पान लगा कर रखे जाने वाले तख्ते, बोर्ड या पाटियो पर स्वच्छ चद्दर चडाई जावेगी अथवा उसको सदैव स्वच्छ रखा जावेगा।
3. प्रयुक्त किया जाने वाला कत्था, चुना, मसाले, सुपारी, आदि बढिया किस्म के प्रयोग में लिया जावेंगे तथा उन्हे भली प्रकार शोधित करके प्रयोग में लिया जावेगा।
4. प्रयुक्त किया जाने वाला कत्था, चुना प्रत्येक दिवस ताजा प्रयोग में लिया जावेगा व स्वच्छ पात्रो में रखा जावेगा। पानी सडक पर नही डालेंगे।

19. खोमचे वालो के लिये विशिष्ट शर्ते :– अनुज्ञाधारी उपनियम 13 में प्रावधित सामान्य शर्तो के अतिरिक्त निम्न विशिष्ट शर्तो का ओर पालन करेगा।

1. सम्पूर्ण प्रकार की मिठाई नमकीन चाट आदि निर्मित किये जाने हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले पात्रो को प्रतिदिन भली प्रकार स्वच्छ किया जाकर प्रयुक्त किया जायेगा। प्लास्टिक से बने पात्र व प्लेटो का उपयोग नही करेंगे।
2. मिठाई, नमकीन आदि को जालीदार कपडे या जाली से इस प्रकार आच्छादित करके रखा जायेगा ताकि उसमे मिट्ठी, मच्छर, मक्खी आदि प्रवेश न हो सकें।
3. चाट आदि के लिये काम में लिये जाने वाले पत्ते, दोना या तश्तरियो आदि को पूर्ण रूपेण स्वच्छ करके प्रयुक्त किया जावेगा।
4. झुठे पतलं, दोने आदि को डाले जाने हेतु एक पृथक पात्र की व्यवस्था की जावेगी ताकि सार्वजनिक मार्ग पर किसी प्रकार की गंदगी न फैलने पाये। बर्तन साफ करने के बाद शेष बचा पानी निर्धारित स्थान पर डालेगा न कि आम सडक पर।

Scanned with OKEN Scanner

5. अनुज्ञाधारी वे सब सावधानियां बरतेगा, जिससे किसी प्रकार की अशुद्धता न हो तथा भोज्य पदार्थ विषेला, दुषित या अस्वास्थ्यकारण न हो।
6. खोमचे वाले एवं फास्ट फुड सर्वे करने वाले समस्त कर्मचारियों को हाथो में डमकपबंजमक ल्इइमत ळसवइमे दस्ताने पहनने आवश्यक है।
7. अनुज्ञाधारी अपने खोमचे में प्रयुक्त पतल दोने निगम के कचरा पात्र में ही डालेगा।

20. मोबाईल वेन की विशिष्ठ शर्ते :–

1. मेाबाईल वेन राज्य एवं केन्द्र सरकार के परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत होनी चाहिये।
2. मोबाईल वेन चिन्हित स्थानो पर ही रख सकेंगे। यदि चिन्हित स्थानो पर ट्राफिक पुलिस द्वारा एतराज करने पर मोबाईल वेन हटाना आवश्यक होगा।
3. अनुज्ञाधारी को यातायात पुलिस विभाग का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. खाद्य सामग्री उच्च गुणवता की ही प्रयोग में ली जावेगी।
5. विक्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री की रेट लिस्ट वेन के बाहर सदृश्य स्थान पर लगाना आवश्यक होगा।
6. वेन में कार्य करने वाले समस्त सेवक स्वस्थ होने चाहीये एवं स्वच्छ सफेद एप्रिन पहने हुए रहना आवश्यक होगा। एवं प्रत्येक छः माह मे मेडिकल जांच प्रमाण पत्र देना होगा।
7. वेन में ठहराव स्थल के पास बैंच, स्टूल या अन्य बैठने के साधनो का उपयोग नही करेंगे।
8. वेन के पास कचरा पात्र मय ढक्कन के रखना आवश्यक होगा व सेवक द्वारा कचरा/वेस्ट निर्धारित नगर निगम के कचरा कंटेनर में ही खाली करना होगा।
9. मोबाईल वेन के संचालक द्वारा फास्ट फुड व खाद्य सामग्री के पेकिंग में पॉलीथीन का उपयोग नही करेगा।

21. पेय जल की विशिष्ठ शर्ते :–

1. जल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नल या टयूबवैल से ही प्रयोग में लिया जाये।
2. जल को शुद्धिकरण कर ही विधिक मानकों के अनुसार ही प्रयोग में लिया जायें।
3. जल की प्रत्येक वर्ष के फरवरी एवं अगस्त माह में संबंधित विभाग से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
4. पेय जल के उद्योग में कार्य करने वाले सेवकों का प्रति 6 माह में स्वास्थ्य परिक्षण करवा प्रस्तुत करना होगा।
5. पेय जल के पैकिंग बोतलों पर उत्पादन तिथि एवं एक्सपायरी तिथी अंकित करना अनिवार्य होगा।
6. पेय जल उत्पादन कक्ष की भितीया भुतल से 250 सेमी. की ऊंचाई तक सीमेंट प्लास्टर, चिप्स या टाइल्स की पक्की बनी होगी कक्ष की छत साफ होगी। ताकि उस पर जाले व धुल कण न चिपक सकें।

22. निरीक्षण :–

1. अनुज्ञाधारी अनुज्ञा स्थल में एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त, अध्यक्ष स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक के निरीक्षणार्थ सदैव खुली रहेगी।
2. महापौर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,आयुक्त, अध्यक्ष स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक अनुज्ञा स्थल में प्रवेश कर सकेगा तथा भवन, खादय सामग्री, खादय एवं पेय वस्तुओ, सम्पुर्ण बर्तन व पात्र, फर्नीचर आदि का निरिक्षण कर सकेंगे तथा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी को देंगे। जो उस पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा। अनुज्ञाधारी निरीक्षण के समय प्राधिकारीयो को निरीक्षण हेतु आवश्यक सुविधा प्रदान करेंगा व किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करेगा।
3. महापौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त, अध्यक्ष स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक ऐसे खाद्य पदार्थ या खाद्य पेय पदार्थ जो उनकी सम्मति से बासी अस्वास्थ्यकर, अपराधजन्य, आरोग्यहीन या मानव उपयोग के लिये अनुचित हो, को स्वयं हटाने या उन्हे हटवाने के अतिरिक्त अनुज्ञाधारी के विरूद्ध उपनियमों के उल्लंघन के लिये अभियोजन प्रस्तुत किये जाने हेतु सक्षम होंगे।
4. जब कभी महापौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,आयुक्त, अध्यक्ष स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक व्यक्तिगत निरीक्षण के पश्चात् आश्वस्त हो या अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर वह संतुष्ट हो कि अनुज्ञाधारी इन उपनियमो का उंल्लघन कर रहा है अथवा उनका भलीप्रकार अनुपालन नही कर रहा है तो अनुज्ञाधारी को अभियोजित किये जाने की अपेक्षा उक्त प्राधिकारी ऐसे निर्देश दे सकेंगे जो उपनियमो के अनुपालन हेतु आवश्यक हो तथा अनुज्ञाधारी द्वारा दिये गये ऐसे निर्देशो को तत्काल पालन किया जावेगा।

23. अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्देश :–

1. इस उपनियमो में कोई बात न होते हुए भी अनुज्ञापन प्राधिकारी उपनियमो को भली प्रकार कार्यान्वित करने के लिये यथोचित आदेश व निर्देश प्रसारित करने हेतु सक्षम होगा तथा अनुज्ञाधारी द्वारा उनका तत्काल पालन किया जाना आवश्यक होगा।

Scanned with OKEN Scanner

2. विशेष साधारण परिस्थितियो में जिनको लिखित में अभिलेखित किया जावेगा तथा जनस्वास्थ्य सुरक्षा के लिये उपयुक्त कारण होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इन उपनियमो में निर्धारित शर्तो में कमी या वृद्धि की जा सकेगी।

3. इन उपनियमो में कार्यान्विति का दायित्व अनुज्ञापन प्राधिकारी का होगा।

24.अपील :– अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदनकर्ता अपील आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर–अंदर नगर निगम के महापौर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा। महापौर का निर्णय अंतिम होगा।

25.अपराध :–

(क) इन उपविधियों के अधीन अपराध का संज्ञान अनुज्ञापन प्राधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के परिवाद पर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जावेगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो इन उपविधियों के उपबंधों का उल्लघंन करता है ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो 5000/– रूपये तक हो सकेगा, तथा लगातार उल्लघंन करने पर और भी जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दोष सिद्ध की तारिख के पश्चात् उस अवधि के दौरान प्रतिदिन 100/–रू0 तक हो सकेगा, जब तक की वह इस प्रकार अपराध करता रहे।

(ग) इन उपविधियों में किसी बात के अंतविष्ठ होने पर अनुज्ञप्तिधारी इन उपविधियों के किन्ही उपबंधों को भंग करता है या उनका उल्लघंन करता है तो उसकी अनुज्ञप्ति भी रद् कि जा सकेगी या निश्चित कालावधि के लिये प्रति संहारित या निलंम्बित की जा सकेगी।

(घ) इन उपविधियो के अधीन आरोपित जुर्माना की राशि, जब्त किया गया सामान नगर निगम उदयपुर बोर्ड के कोष में आंकलित किया जावेगा/भिजवाया जावेगा।

26.अपराधो का अभिसंधान या समझौता करने की शक्ति :– इन उपविधियों के अधीन दण्डनीय समस्त अपराधों का अभिसंघान या समझोता बोर्ड द्वारा राजस्थान म्युनिसिपलटीज (कम्पाउडिंग एण्ड कर्म्पोमाईजिंग ऑफ ऑफन्सेंस) रूल्स 1966 या तत्समय प्रवृत नियमों के अनुसार उसके लिए क्षति पूर्ति के रूप में ऐसी धनराशि स्वीकार कर किया जा सकेगा जो इन उपविधियों में वसूलनीय फीस के अलावा 5000/– रूपये से अधिक नही होगी।

27.अनुज्ञा पत्र की शर्तो की अवहेलना के लिए दण्ड :– जो कोई भी इन उपनियमों का उल्लघंन करता हैं किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर ठोस अपशिष्ट या कूडा करकट फैलाता हैं या जमा करता हैं या फैंकता है या जमा करवाना या फिकवाना अनुज्ञात करता है या उसके अनुज्ञा स्थल में किसी भी गंदगी के प्रभाव को अनुज्ञात करता है तो वह मौके पर ही नगर निगम द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इन उपनियमों के अनुसार अनधिक अधिरोपित शास्ति संदत करने का दायी होगा।

28.शास्ति, जुर्माने की वसूली :– इन उपनियमों के तहत आरोपित शास्ति व जुर्माने की राशि की वसूली राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में निहित प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

29.विखण्डन एवं संरक्षण :–

1. इन उपनियमो के प्रभाव में आने पर इस विषय के प्रचलित सभी नियम, उपनियम, उपविधियां, आदेश, विज्ञप्तियां, निर्णय, शुल्क, दरे, विखण्डित हो जायेगी – बशर्ते उन उपनियमो, उपविधियो, आदेश, विज्ञप्ति, निर्णयो और शुल्क दरो के अन्तर्गत की गई कार्यवाही प्रचारित, निलंबित, रदद या संशोधित अनुज्ञा पत्र पर इन उपनियमो का कोई प्रभाव नही पडेगा।

2. इन उपावधि के उपयुक्त खण्ड (क) के अन्तर्गत प्रचारित अनुज्ञा पत्र जब तक कि निगम अन्यथा निर्देश न दे इन उपविधियों के अन्तर्गत प्रचारित मानी जायेगी।

नगर निगम उदयपुर

प्रपत्र 1

(देखिये उपनियम – 6 (1))

होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई, पान आदि की दुकान लगाने के लिये एवं पेय जल, मोबाईल वेन, थैले, खोमचे, बाईसाईकल पर फेरी लगा कर खाद्य पदार्थ, आदि विक्रय करने के लिये अनुज्ञा पत्र लेने का प्रार्थना पत्र :–

सेवामें,

श्रीमान् अनुज्ञापन प्राधिकारी
नगर निगम
उदयपुर।।

फोटो

महोदय,

मैं/हम नगर निगम उदयपुर की सीमा में एक होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई, पान व अन्य खाद्य पदार्थ या खाद्य पेय उत्पादन या बिक्री की दुकान खोलना चाहता हूं/चाहते है और खोमचे, थैले, बाईसाईकल में फेरी लगाकर मिठाई, नमकीन, चाट, दुध, दही, मावा, ठण्डा खाद्य पेय, पदार्थ, आदि रखकर धन्धा करना चाहता हूं/चाहते है। इस सम्बन्ध में आवश्यक विवरण इस प्रकार है :–

1. अनुज्ञार्थी का नाम व पुरा पता :–

(क) नाम ....

पिता ....उम्र ....

(ख) स्थान का पता :– मोहल्ला .... वार्ड

संख्या .... गृह संख्या ....

Scanned with OKEN Scanner

2. होटल / रेस्टोरेन्ट / ढाबा / विश्रान्तिगृह का वर्ग :– ....

3. अन्य आवश्यक विवरण :– ....

अतः निवेदन है कि अनुज्ञा पत्र जारी किया जावे। मैं / हम प्रतिज्ञा करता हूं / करते है कि नगर निगम, उदयपुर (होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई, पान खाद्यान्न एवं अन्य पदार्थ बिक्री की दुकानो के नियंत्रण व नियमन विषयक) उपनियम 2015 के प्रावधित प्रावधानो से पाबंद रहूंगा / रहेंगे तथा उनको पुर्ण रूपेण पालना करूंगा / करेंगे। निर्धारित अनुज्ञा शुल्क नगर निगम के कोष में जमा करा दूंगा / करा देंगे।

दिनांक :– अनुज्ञार्थी के हस्ताक्षर ....

निवास का पता ....

नगर ....

मोहल्ला ....

वार्ड संख्या .... गृह संख्या ....

कार्यालय में आवेदन प्रस्तुतकर्ता :–

नाम ....

उम्र ....

पता ....

....

पद ....

हस्ताक्षर..........

संलग्न दस्तावेजान

1. विकय पत्र / रहननामा / किराया चिट्टी आदि
2. नवीनतम दो फोटो ग्राफ (पासपोर्ट साईज)
3. अनुज्ञा स्थल का मानचित्र
4. ठोस कचरा निस्तारण की रूपरेखा
5. जलोत्सारण का मानचित्र
6. पर्यावरण नियंत्रण विभाग का अनापति प्रमाण–पत्र

नगर निगम उदयपुर

अनुज्ञा नवीनीकरण के लिए प्रार्थना पत्र

प्रपत्र संख्या – 2

(देखिये उपनियम – 8 (1))

दिनांक :–

श्री अनुज्ञापन प्राधिकारी
नगर निगम
उदयपुर।

विषय :– **विषयः– अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण**

रजिस्ट्रेशन संख्या .... दिनांक .... की अनुज्ञा को कृपया कर दिनांक.......... से दिनांक .... तक के लिये नवीनीकरण करने का कष्ट करावें।
पुर्व अनुज्ञा पत्र संलग्न है।

अनुज्ञार्थी के हस्ताक्षर ....

नाम ....

पिता ....

प्रतिष्ठान का नाम..........

प्रतिष्ठान का पता..........

....

उम्र .... वार्ड ....

घर का पता ....

....

कार्यालय उपयोग हेतु

अनुज्ञार्थी की अनुज्ञा चेक की, नगरीय विकास शुल्क रसीद सं. ....से जमा कराया हुआ है / नगरीय विकास शुल्क अदेय है।

हस्ताक्षर निरीक्षक

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/16/ 10376 जयपुर दिनांकः 26/4/17

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा–105, 325 तथा 337 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा नगर निगम/परिषद/पालिकाओं की उपविधियों में लाईसेंस फीस सम्बन्धी प्रावधान विभागीय आदेश क्रमांक प.8 (ग)( )नियम/ डीएलबी/16/1660 दिनांक 31.01.17 द्वारा वार्षिक लाईसेंस फीस निर्धारित की गई थी, में राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 337 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार संशोधन करती है:–

1. उक्त विभागीय आदेश दिनांक 31.01.17 के नोट संख्या 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–
   "लाईसेंस समाप्ति की तिथि से 30 दिवस की अवधि में लाईसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। विलम्ब की स्थिति में लाईसेंस फीस की राशि का प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत शास्ती के रूप में वसूल की जायेगी।"
2. उक्त विभागीय आदेश दिनांक 31.01.17 के नोट में नवीन संख्या 7 को निम्नानुसार जोडा जाता है:–
   "विभागीय आदेश दिनांक 14 सितम्बर, 2015 जिसमें नगरीय निकायों द्वारा होटल, रेस्टोरेंट आदि के लिये जो लाईसेंस एक वर्ष की अवधि के लिये जारी किये जाते है उन समस्त लाईसेंसों की वैधता अवधि नियमानुसार 10 वर्ष का शुल्क वसूल करते हुए 10 वर्ष की अवधि के लिये जारी करने की स्वीकृति दी गई है। अतएव 10 वर्ष का वार्षिक लाईसेंस फीस एकमुश्त नवीनीकरण कराने वाले होटल/रेस्टोरेंट व्यवसायियों को शुल्क में 20 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।"
3. विभागीय आदेश दिनांक 31.01.17 के नोट में नवीन संख्या 8 को निम्नानुसार जोडा जाता है:–
   "आदेश दिनांक 31.01.17 में अंकित लाईसेंस फीस तालिका के क्रमांक 12 से 19 तक में नमकीन के कारखाने एवं मिठाई के कारखाने, चाट–पकौडी, गैस युक्त शीतल पेय, आइस्क्रीम, मिनरल वाटर फैक्ट्री, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्विमिंग पूल को लाईसेंस देने का प्रावधान किया गया है। इन विषयों पर स्थानीय निकाय यदि इन गतिविधियों से लाईसेंस फीस वसूल करना चाहती है तो पहले इन गतिविधियों के संबंध में उपविधियां, विधिक प्रावधान अनुसार स्वीकृत करावे और तत्पश्चात ही लाईसेंस वसूली का प्रावधान स्थानीय निकाय अपने स्तर पर उपविधि अनुसार करें।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

DAGAYANALO...

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

	मिठाई के कारखाने			
13.	चाट–पकोडी फास्ट फूड, डोसा भोजन के मोबाईल वाहन	2,000	1000	500
14.	गैस युक्त शीतल पेय	250	150	100
15.	आईस क्रीम/आईस फेक्ट्री	3,000	1,500	750
16.	मिनरल वॉटर फेक्ट्री	3,000	1,500	750
17.	ब्यूटी पार्लर	1,000	500	250
18.	जिम	2,000	1000	500
19.	स्वीमिंग पूल	1,000	500	250

नोट:–

1. आवासीय भवनो में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि के लिये कोई नया लाईसेन्स नहीं दिया जावेगा, परन्तु जिन भवनो में पूर्व से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने से लाईसेन्स दिये हुये है, उनका ही केवल नवीनीकरण किया जा सकेगा।
2. लाईसेन्स समाप्ति की तिथि से 30 दिवस की अवधि में लाईसेन्स का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। विलम्ब की स्थिति में लाईसेन्स फीस की राशि का प्रति माह 5 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में वसूल की जायेगी।
3. जिन नगरीय निकायो में पूर्व से ही उपरोक्त उल्लेखित राशि से अधिक राशि लाईसेन्स फीस के रूप में उपविधियो में प्रावधित है तो उस निकाय की उपविधि में प्रावधित लाईसेन्स फीस ही ली जावेगी।
4. इस विभाग के आदेश कमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/14/10838 दिनांक 14.09.2015 के अन्तर्गत जिन प्रकरणों में पूर्व में 10 वर्ष की अवधि के लिये होटल लाईसेन्स का नवीनीकरण किया जा चुका है उन मामलो में उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होगे।
5. जिन नगरीय निकायो में स्वास्थ्य अधिकारी (एम.बी.बी.एस.) कार्यरत है उन निकायों में स्वास्थ्य अधिकारी लाईसेन्स जारी करने/नवीनीकरण करने का कार्य करेंगे। जिन नगरीय निकायो में स्वास्थ्य अधिकारी (एम.बी.बी.एस.) कार्यरत नहीं है उन निकायो में आयुक्त/जोन उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी लाईसेन्स जारी करने/नवीनीकरण करने का कार्य करेंगे।
6. लाईसेन्सी द्वारा उपविधियो की पालना नहीं करने या लाईसेन्स फीस या नवीनीकरण लाईसेन्स फीस जमा नहीं कराने की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि को विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये बंद कराने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

कमांक:प.8(ग)( )/नियम/डीएलबी/16/1181–2114 जयपुर,दिनांक : 3/11/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव,माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

D:\DAYA\...Order.doc

Scanned with OKEN Scanner

उपविधी में निर्धारित शुल्क		
कोड नंबर	विवरण	उपविधी में निर्धारित शुल्क 2015 अनुसार/स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 31.1.17 में निर्धारित शुल्क
1001	7 स्टार होटल	150000 रू0 प्रतिवर्ष
1002	5 स्टार होटल	100000 रू0 प्रतिवर्ष
1003	4 स्टार होटल	75000 रू0 प्रतिवर्ष
1004	3 स्टार होटल	50000 रू0 प्रतिवर्ष
1005	2 स्टार होटल	25000 रू0 प्रतिवर्ष
1006	1 स्टार होटल	15000 रू0 प्रतिवर्ष
2001/17	ए श्रेणी होटल (20 कमरो से अधिक)	15000 रू0 प्रतिवर्ष
2002/17	बी श्रेणी होटल (11 से 20 के मध्य के कमरे)	10000 रू0 प्रतिवर्ष
2003/17	सी श्रेणी होटल (10 कमरो के कम)	5000 रू0 प्रतिवर्ष
3001	ए श्रेणी धर्मशाला (20 कमरो से अधिक)	1000 रू0 प्रतिवर्ष
3002	बी श्रेणी धर्मशाला (11 से 20 के मध्य के कमरे)	750 रू0 प्रतिवर्ष
3003	सी श्रेणी धर्मशाला (10 कमरो के कम)	500 रू0 प्रतिवर्ष
40011	ए श्रेणी शाकाहारी रेस्टोरेंट	15000 रू0 प्रतिवर्ष
40012	ए श्रेणी मांसाहारी रेस्टोरेंट	15000 रू0 प्रतिवर्ष
40013	ए श्रेणी शाकाहारी व मांसाहारी रेस्टोरेंट (50 चेयर से अधिक)	20000 रू0 प्रतिवर्ष
40021	बी श्रेणी शाकाहारी रेस्टोरेंट	7500 रू0 प्रतिवर्ष
40022	बी श्रेणी मांसाहारी रेस्टोरेंट	7500 रू0 प्रतिवर्ष
40023	बी श्रेणी शाकाहारी व मांसाहारी रेस्टोरेंट (50 चेयर तक)	11000 रू0 प्रतिवर्ष
40031	सी श्रेणी शाकाहारी रेस्टोरेंट	1000 रू0 प्रतिवर्ष
40032	सी श्रेणी मांसाहारी रेस्टोरेंट	1000 रू0 प्रतिवर्ष
40033/17	सी श्रेणी शाकाहारी व मांसाहारी रेस्टोरेंट	2500 रू0 प्रतिवर्ष
5001	चाय, कॉफी	500 रू0 प्रतिवर्ष
5002	नमकीन, मिठाई	500 रू0 प्रतिवर्ष
5003	शर्बत, कुल्फी	500 रू0 प्रतिवर्ष
5004	गोश्त, मछली, अण्डे	500 रू0 प्रतिवर्ष
6001/17	आईस फेक्ट्री एवं आईस केण्डी	3000 रू0 प्रतिवर्ष
6002	कोल्ड हाउस	2000 रू0 प्रतिवर्ष
6003	बेकरी	2000 रू0 प्रतिवर्ष

Scanned with OKEN Scanner

7001	पान	300 रू0 प्रतिवर्ष
7002	पान, किराणा	550 रू0 प्रतिवर्ष
7003	पान, किराणा, शी, पेय	1050 रू0 प्रतिवर्ष
7004	पानी, शी, पेय	800 रू0 प्रतिवर्ष
8001	किराणा	250 रू0 प्रतिवर्ष
8002	सुखा मेवा, मसाले, दाल चावल आदि	250 रू0 प्रतिवर्ष
8003	किराणा तेल व घी	250 रू0 प्रतिवर्ष
8004	किराणा शी पेय	750 रू0 प्रतिवर्ष
8005	खाद्य पदार्थ	250 रू0 प्रतिवर्ष
8006	कन्फेन्सरी	250 रू0 प्रतिवर्ष
8007	खाद्य तेल	250 रू0 प्रतिवर्ष
8008	मिर्च, मसाला	250 रू0 प्रतिवर्ष
8009	किराणा, शी पेय दुध	1500 रू0 प्रतिवर्ष
8010	दाल, चावल	250 रू0 प्रतिवर्ष
8011	किराणा दुध	1000 रू0 प्रतिवर्ष
8012	गोली, चुरण, पेप्सीकोला, सुपारी	750 रू0 प्रतिवर्ष
8013	जनरल स्टोर	250 रू0 प्रतिवर्ष
8014	शी पेय मिठाई नमकीन	1000 रू0 प्रतिवर्ष
8015	शुद्ध घी	250 रू0 प्रतिवर्ष
8016	प्रो. पाउडर बिस्किट	250 रू0 प्रतिवर्ष
8017	पेक आटा, बिस्किट	250 रू0 प्रतिवर्ष
8018	हर्बल चुर्ण, मसाले, आचार, वनस्पति तेल, हर्बल पेय	750 रू0 प्रतिवर्ष
9001	ए श्रेणी डेयरी	3000 रू0 प्रतिवर्ष
9002	बी श्रेणी डेयरी	1500 रू0 प्रतिवर्ष
9003	सी श्रेणी डेयरी	750 रू0 प्रतिवर्ष
10001	फल सब्जी	250 रू0 प्रतिवर्ष
11001/17	आईसक्रीम, शी, पेय	3000 रू0 प्रतिवर्ष
11002/17	आईसक्रीम	3000 रू0 प्रतिवर्ष
11003	आईस केण्डी	2000 रू0 प्रतिवर्ष
11004	आईसक्रीम, फलुदा	2000 रू0 प्रतिवर्ष
11005	शी, पेय	2000 रू0 प्रतिवर्ष
11006	फलों का रस	500 रू0 प्रतिवर्ष
11007	गन्ने का रस	500 रू0 प्रतिवर्ष
12001	खाद्य पदार्थ	500 रू0 प्रतिवर्ष
12002	नमकीन मिठाई	500 रू0 प्रतिवर्ष
12003	गोली बिस्किट	500 रू0 प्रतिवर्ष
12004	पानी पताशे	500 रू0 प्रतिवर्ष
12005	दही बडा पतासा पावभाजी	500 रू0 प्रतिवर्ष
13001	मोबाईल वेन रेस्टोरेंट	2000 रू0 प्रतिवर्ष
14001/17	मिनरल वाटर उत्पादक/विकृय	3000 रू0 प्रतिवर्ष
16001	ठेला	8 रू0 प्रतिवर्ष

Scanned with OKEN Scanner

17001 / 17	कैफे, केन्टीन, मिठाई की दुकान, बेकरी, कन्फेक्सनरी (Sweetmeat)	1000 रू0 प्रतिवर्ष
17002 / 17	नमकीन के कारखाने एवं मिठाई के कारखाने	3000 रू0 प्रतिवर्ष
17003 / 17	चाट, पकोडी फास्ट फुड, डोसा भोजन के मोबाईल वाहन	2000 रू0 प्रतिवर्ष
17004 / 17	ब्यूटी पार्लर	1000 रू0 प्रतिवर्ष
17005 / 17	जिम	2000 रू0 प्रतिवर्ष
17006 / 17	स्वीमिंग पुल	1000 रू0 प्रतिवर्ष

Scanned with OKEN Scanner